



कार्यालय— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा ।

वन भवन, चतरा — 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक 1220

दिनांक 06.04.18

श्री सौमित्रा सिंह,  
उप महाप्रबंधक,  
विभागाध्यक्ष, (पर्या0 एवं वन)  
सी.सी.एल., दरभंगा हाऊस, राँची।

विषय—

मेसर्स सी.सी.एल. द्वारा चुरी-बेंती अन्डरग्राउण्ड माईनिंग हेतु कुल 281.17 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत— 65.84 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत— 215.33 हे0) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग—  
महाशय,

इस कार्यालय का पत्रांक 1054 दिनांक 27.03.2018

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयक कोल माईनिंग परियोजना हेतु समर्पित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 05.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि—

1. मौजा बेंती में हस्तांतरित होनेवाले वन भूमि को स्थल पर मार्किंग नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक वन भूमि हस्तांतरित होंगे। साथ ही साथ जंगल झाड़ी भूमि को भी अलग से मार्किंग किया जाय।
2. हस्तांतरित वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का Geo referenece map in shape file भी समर्पित नहीं की गई है। कृपया समर्पित किया जाय। साथ ही साथ इसकी प्रति ऑनलाईन में भी अपलोड किया जाय।
3. Part-I के कंडिका " K" में वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित उपायुक्त, राँची द्वारा निर्गत पंजी अपलोड है परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किया गया है। वर्तमान प्राधिकृत पदाधिकारी के नाम सहित मुहर एवं हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाए।
4. हार्ड कॉपी प्रस्ताव के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सी.सी.एल. के सभी प्रस्ताव एवं अनुपालन करने हेतु सौमित्रा सिंह, उप महाप्रबंधक, सी.सी.एल. को प्राधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में चुरी-बेंती हेतु समर्पित प्रस्ताव के सभी अभिलेखों में उनके हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों का निराकरण हेतु प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है। संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

06/04/18